L·N·M· College Of Higher Education

B·ED - 1st year (2019-21) BCC-4 (Language Across the Curriculum)

Revisionary Exercises   Date - 26/5/20

(By Rakesh Sir)

UNIT- 1 / Ch-3

DEVELOP STRATEGIES FOR USING ORAL LANGUAGE IN THE CLASSROOM TO PROMOTE LEARNING IN THE SUBJECT AREA :-

[विषय-क्षेत्र में अधिगम को कक्षा-कक्ष में प्रोन्नत करने के लिए मौखिक भाषा का उपयोग हेतु व्यूह रचनाएँ विकसित करना :- (Long Answer Type Quest)]

Question :- विषय-क्षेत्र में अधिगम को कक्षा-कक्ष में प्रोन्नत करने के लिए किन्हीं तीन मौखिक व्यूह रचनाओं का वर्णन कीजिए।

Answer :- कक्षा-कक्ष में मौखिक मौखिक भाषा के उपयोग के लिए निम्नलिखित व्यूह रचनाएँ विकसित की जा सकती हैं :-

(1) समृद्ध शब्दावली का प्रयोग (use of Mature Vocabulary)

कक्षा-कक्ष में मौखिक भाषा के उपयोग के लिए समृद्ध शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। शब्द-भंडार भाषा के विकास का द्योतक (प्रतीक) कहा जाता है। शब्द ही व्यक्ति के भावों, विचारों एवं अनुभूतियों के प्रकाशन के लिए प्रतीक का कार्य करते हैं। किसी भी जाति के अनुभव शब्दों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। जिस भाषा के पास शब्दों की कमी होती है, उसे हीन भाषा कहा जाता है। इस प्रकार किसी भी भाषा पर आक्रमण उसकी शब्दावली को लेकर ही होता है।

जिस वक्त संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय यह कहा गया कि हिन्दी भाषा में पारिभाषिक शब्दों की कमी है। अतः पारिभाषिक शब्द-संग्रह के लिए भारत सरकार द्वारा एक समिति की स्थापना हुई, जिसने बारह वर्ष तक कठोर परिश्रम करके सन् 1962 ई॰ में अपना कार्य पूरा किया। इस कार्य को पारिभाषिक शब्द-संग्रह नामक सरकारी कोष के रूप में देखा जा सकता है।

(i) हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों के अभाव की बात राजनीतिज्ञों का झूठा प्रचार है। सरकारी शब्द-संग्रह के 99 फीसदी शब्द हिन्दी पुस्तकों और कोषों में पहले से मौजूद हैं।

(ii) कोष निर्माण द्वारा हिन्दी को समृद्ध करने, उसे राजभाषा पद के योग्य बनाने की सारी प्रक्रिया एक राजनीतिक चाल है, जिसका उद्देश्य है- "हिन्दी-भाषियों तथा समस्त राष्ट्रभाषा-प्रेमियों की आँखों में धूल झोंकना"

→ P.T.O.

Scanned with CamScanner

वस्तुत: हिन्दी में शब्दों की कमी नहीं है। लगभग सभी विषयों पर हिन्दी में पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं और ज्ञान-विज्ञान के अनेकानेक पारिभाषिक शब्दों का स्वत: विकास हो गया है या हो रहा है। इस संबंध में डॉ० शर्मा ने कहा है,- "ज़्यादा अच्छा होता कि सरकार, ज्ञान-विज्ञान के समस्त क्षेत्रों में हिन्दी को समृद्ध करने का ठेका लेती। वह शासन-व्यवस्था, न्याय, व्यापार आदि उन क्षेत्रों के शब्दों का ही संग्रह बनाती, जिससे इसे आगे दिन सबक मिलता। आखिर लोकसभा के सदस्य या मंत्रीगण अपनी राजनीतिक हैसियत से भौतिकी रसायनशास्त्र या जीव-विज्ञान पर तो ग्रंथ रखेंगे नहीं। हिन्दी को केन्द्रीय राजकाज की भाषा बनाने के लिए देखना यह चाहिए था कि उसमें राजकाज के शब्द हैं या नहीं। ~~हिन्दी को केन्द्रीय राजकाज की भाषा बनाने के लिए~~ यह सीधा-सादा छह महीने में खत्म होनेवाला काम न करके सरकार ने दो पंचवर्षीय योजनाओं का समय लगा दिया, समस्त विषयों के इस शब्द-संग्रह में।"

हिन्दी की ही भाँति अन्य भारतीय भाषाओं के विषय में भी शब्दों की कमी का आक्षेप प्राय: लगाया जाता है, किन्तु यह कथन "गाड़ी को घोड़े के आगे खड़ा करने वाला है। देशी भाषाओं को व्यापार का अवसर न दीजिए और आक्षेप लगाइए कि व्यवहार में आने की इनमें क्षमता ही नहीं है। प्रसिद्ध कोषकार मोनियर विलियम्स को अपने संस्कृत-अंग्रेजी कोष में एक-एक संस्कृत शब्द के लिए अनेक अंग्रेजी के शब्दों को देना पड़ा। इस दृष्टि से हिन्दी दरिद्र नहीं, दरिद्र है अंग्रेजी। अंग्रेजी में प्राय: शब्द से उस पदार्थ का ही बोध है, जिसका वह प्रतीक है किन्तु हिन्दी ने एक-एक शब्द से न केवल पदार्थ वरन् उस उस पदार्थ के किसी विशेष गुण का भी बोध होता है। उदाहरणस्वरूप - 'फायर' शब्द कहने से, उस वस्तु का ही बोध होता है, जो जलती है, किन्तु 'वह्नि' कहने से आग और यज्ञ के धुएँ को वहन करने वाली (आग) का बोध होता है। अंग्रेजी में 'अर्थ' भूमि का द्योतक है किन्तु 'पृथ्वी' शब्द पृथ्वी नामक पदार्थ और उसके गुण (फैली हुई) का भी द्योतक है।

शब्दों के अभाव की बात प्राय: कोष के आकार को देखकर कही जाती है। अंग्रेजी का शब्दकोष भारी भरकम होने के कारण अंग्रेजी को समृद्ध बना देता है किन्तु हिन्दी का शब्दकोष कुछ दुबला-पतला होने कारण, लोगों को खटकने लगता है। जब किसी भाषा का विशेष ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग होने लगता है तो शब्दावली का स्वत: विकास हो जाता है। अंग्रेजी में भी शब्दावली का विकास इसी प्रकार हुआ है। कदाचित्
→

Scanned with CamScanner

(प्रि-3) → मैं मौखिक भाषा के रूप में समृद्ध शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए इससे शिक्षण-क्षेत्र में अधिगम का विकास हो सकता है।

(2) परिचर्चा अथवा समूह-चर्चा (Discussion or Group Discussion)

कक्षा-कक्ष में मौखिक रूप से परिचर्चा का प्रयोग करना चाहिए। परिचर्चा करते समय विभिन्न छात्र उसमें भाग लेते हैं। कक्षा-कक्ष में बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए तथा शिक्षण क्षेत्र में अधिकतम अधिगम हेतु परिचर्चा का उपयोग किया जा सकता है। प्रख्यात शिक्षाविद 'एडम्स' ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है इसका एक ध्रुव विद्यार्थी है और दूसरा अध्यापक। अध्यापक अपने व्यक्तित्व द्वारा विद्यार्थी के व्यक्तित्व पर अपना प्रभाव डालता है। अधिगम को प्रोन्नत करने के लिए परिचर्चा या समूह चर्चा एक महत्वपूर्ण व्यूह रचना है। जब अध्यापक किसी बालक का व्यक्तिगत ध्यान रखते हुए शिक्षण करता है तो वह व्यक्तिगत शिक्षण कहा जाता है और जब विभिन्न छात्रों के मध्य समूह में चर्चा होती है तो उसे समूह परिचर्चा कहा जाता है। समूह परिचर्चा में कई शिक्षार्थियों के समूह परस्पर अन्तः क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रेरित करते हैं। सामूहिक परिचर्चा में छात्रों को एक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है अतः उनके समाधान में सुविधा रहती है।

(3) प्रश्नोत्तर नीति (Question and Answer Policy)

कक्षा-कक्ष में अधिगम को प्रोन्नत करने के लिए प्रश्नोत्तर नीति का भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति के प्रमुख तीन सोपान होते हैं—(1) प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित करना।
(2) उन्हें समुचित रूप से छात्रों के सामने रखना, ताकि नये ज्ञान के लिए उनमें उत्सुकता जाग्रत हो सके।
(3) छात्रों के माध्यम से उनमें संबंध स्थापित करते हुए उनमें नवीन ज्ञान देना। इनमें निम्न, मध्यम तथा उच्च स्तर के प्रश्न आवश्यकतानुसार प्रयोग किये जाते हैं। प्रश्नोत्तर विधि छात्रों को सक्रिय बनाती है। उसमें नये ज्ञान के प्रति उत्सुकता जाग्रत होती है। यह विधि विशेष विषय के अधिगम के विकास में सहायता करती है। विशिष्ट अधिगम तथा प्रशिक्षण के लिए इसका प्रयोग करना सही है। इस नीति के प्रयोग से अधिगम को मौलिक रूप से बढ़ाया जा सकता है।

(H.W.) → (self to do)

संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें → (i) उदाहरण प्रविधि (Example Technique) (ii) → व्याख्या प्रविधि (Explain Technique) (iii) स्पष्टीकरण प्रविधि (Explanation Tech.)

Scanned with CamScanner